न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 53 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 85

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.सुमेरसिंह पुत्र कानसिंह 2.दाकु कंवर उर्फ दाखु कंवर पत्नी कानसिंह 3.मूमल कंवर पत्नी जयसिंह 4.महेन्द्र कंवर पुत्री जयसिंह 5.रावल पुत्र जयसिंह 6.स्वरूपसिंह पुत्र जयसिंह नाबालिग जरिए कुदरती वली माता मूमल कंवर प्रार्थीनी संख्या 03 जाति राजपूत निवासी ग्वालनाड़ा तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा		1.गोपाराम पुत्र धीराराम जाति जाट निवासी गोदावास तहसील कल्याणपुर 2.मांगीलाल पुत्र धीराराम जाति जाट निवासी गोदावास तहसील कल्याणपुर 3.जगदीश कुमार पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी घड़सी का बाड़ा तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा 4.बुधसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत निवासी घड़सी का बाड़ा तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा 5.रूघाराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी थोरियों की ढाणी पाल तहसील लूणी जिला जोधपुर 6.रमी देवी पत्नी मांगाराम जाति भील निवासी घड़सी का बाड़ा तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा 7.वचनसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत निवासी गोदावास तहसील कल्याणपुर 8.संगीता पत्नी मांगीलाल जाति विश्नोई निवासी गोदावास तहसील कल्याणपुर 9.मिठा कंवर पुत्री विशनसिंह 10.रतन कंवर पत्नी विशनसिंह 11.कुंदनसिंह पुत्र माधोसिंह 12.तेजसिंह पुत्र माधोसिंह 13.अलीया कंवर पत्नी अमरसिंह 14.कमला कंवर पत्नी इन्द्रसिंह 15.गणपतसिंह पुत्र खीमसिंह 16.चूहा कंवर पत्नी मगसिंह 17.दुर्गसिंह पुत्र खिमसिंह

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

18.धापू कंवर पत्नी खिमसिंह
19.पीरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
20.भैरूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
21.भंवरसिंह पुत्र मगसिंह
22.भंवरसिंह पुत्र अमरसिंह
23.भंवरसिंह पुत्र भीमसिंह
24.मनोहरसिंह पुत्र अमरसिंह
25.मूलसिंह पुत्र सवाईसिंह
26.मानसिंह पुत्र सवाईसिंह
27.रतनसिंह पुत्र अमरसिंह
28.शम्भुसिंह पुत्र राणसिंह
29.श्रवणसिंह पुत्र अमरसिंह
30.सूरजकंवर पत्नी माधोसिंह
31.सायर कंवर पत्नी मोतीसिंह
32.हुकमसिंह पुत्र राणसिंह
33.हेमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
जाति राजपूत निवासी घड़सी का बाड़ा
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
34.अनिता पत्नी रमेश जाति जाट
निवासी सादों का वास,नन्दावन जोधपुर
तहसील लूणी जिला जोधपुर
35.तेजसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत
निवासी घड़सी का बाड़ा
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
36.निरमा पत्नी जगाराम जाति जाट
निवासी सादों का वास,नन्दावन जोधपुर
तहसील लुणी जिला जोधपुर
37.मदनकंवर पत्नी विरधसिंह
38.विरधसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत
निवासी घड़सी का बाड़ा
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
39.सोनाराम पुत्र हड़मताराम जाति जाट
निवासी घड़सी का बाड़ा
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

40.खंगारसिंह पुत्र मोतीसिंह

41.कल्याणसिंह पुत्र मोतीसिंह

42.नरपतसिंह पुत्र मोतीसिंह

43.अलिया कंवर पत्नी बलवंतसिंह

जाति राजपूत निवासी घड़सी का बाड़ा

तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

44.राजस्थान राज्य ज़रिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 10.03.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम घड़सी का बाड़ा पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 301/126 क्षेत्रफल 8.9561 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम घड़सी का बाड़ा पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसंरा संख्या 301/126 क्षेत्रफल 8.9561 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

3.मैंने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम घड़सी का बाड़ा पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 301/126 क्षेत्रफल 8.9561 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्राथीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास कियां जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम घड़सी का बाड़ा पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 301/126 क्षेत्रफल 8.9561 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम घड़सी का बाड़ा पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 301/126 क्षेत्रफल 8.9561 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 28.1.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना हैं,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन—पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम घड़सी का बाड़ा पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 301 / 126 क्षेत्रफल 8.9561 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 10.3.2025 लिखा जाकर सर—ए—इजलास सुनाया गया।

10/3/2025

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा